कार्यालय राज्य कर आयुक्त, छत्तीसगढ़

वाणिज्यिक कर विभाग जीएसटी भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला.रायपुर

क्रमांक / राकआ / एक / स्था / 2020 / 176 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांकः– 23.06.2020

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2018 के माध्यम से चयनित वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये गये निम्नलिखित सारणी में उल्लेखित अभ्यर्थियों को वेतन बैण्ड 5200–20200 तथा ग्रेड वेतन 2800 (पुनरीक्षित लेवल–7) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर 2 वर्ष की परिवीक्षावधि पर नियुक्त किया जाकर उनकी पदस्थापना उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालय में की जाती है।

क.	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	गृह जिला	कार्यालय का नाम जहां पदस्थ किया जाना है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सुश्री प्रियंका सिंह बिसेन, पिता श्री प्रीतुराज सिंह बिसेन, पता–प्री.मेट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास नवागांव, पेन्ड्रा, बिलासपुर छ.ग., पिन नं. 495119	अनारक्षित	बिलासपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, रायगढ़ वृत्त – एक
2	श्री राम लखन चौहान, पिता श्री राम चंद्र चौहान, पता–न्यू अयोध्या नगर, न्यू चंगोराभांठा, कर्मा चौक, पोस्ट–सुन्दर नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) पिन नं. 492013	अनारक्षित	रायपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त –पांच
3	सुश्री सुजाता गुप्ता, पिता श्री शंकर लाल गुप्ता, पता–शीतला मंदिर के पीछे, वार्ड क्र.–5, मकान नं. 215, दुर्ग (छ.ग.) पिन नं. 491001	अनारक्षित	दुर्ग	राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त–एक
4	श्री योगेश्वर कुमार द्विवेदी, पिता–श्री भोजेश्वर प्रसाद द्विवेदी, पता– मकान नं. –544, इमली डूग्गू वार्ड क्र.–08, कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.), पिन नं. 495678	अनारक्षित	कोरबा	राज्य कर सहायक आयुक्त, राजनांदगांव वृत्त

5	श्री सुशील कुमार सेन, पिता–श्री शिवकुमार सेन, पता– जय स्तंभ वार्ड, ग्राम–तुलसी (नेवरा), पोस्ट–नेवारा, थाना–तिल्दा, जिला–रायपुर (छ.ग.) 493114	अपिव	बेमेतरा	राज्य कर सहायक आयुक्त, जगदलपुर वृत्त –एक
6	श्री आशीष कुमार साहू, पिता–श्री दिलीप कुमार साहू, पता– कांति भवन के पीछे, मुधबन नगर, बोरसी, दुर्ग (छ.ग.) पिन नं. 491001	अपिव	दुर्ग	राज्य कर सहायक आयुक्त, रायगढ़ वृत्त – एक
7	श्री महिपाल सिंह, पिता–श्री चंदन सिंह, पता– ग्राम व पोस्ट– पुरी, तहसील–चारआमा, जिला–कांकेर (छ.ग.) पिन नं. 494337	अनारक्षित	कांकेर	राज्य कर सहायक आयुक्त, भाटापारा वृत्त
8	श्री प्रांजल प्रजापति, पिता–श्री केशव प्रजापति, पता–रामसागर वार्ड, भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार– भाटापारा, पिन नं. 493118	अपिव	बलौदा बाजार	राज्य कर सहायक आयुक्त, जगदलपुर वृत्त –एक
9	श्री अमित कुमार, पिता–श्री बुधेश्वर सिंह, पता– ग्राम–धकोनी, पोस्ट–रसोता, तहसील–बलोदा, जिला– जांजगीरचांपा (छ.ग.) पिन नं. 495559	अपिव	जांजगीर चांपा	राज्य कर सहायक आयुक्त, जगदलपुर वृत्त –एक
10	श्री गुलशन कुमार साहू, पिता–श्री सोहन लाल साहू, पता–ग्राम कोसरंगी, पोस्ट–पचेड़ा, तहसील एवं जिला–महासमुन्द (छ.ग.) पिन नं. 493445	अपिव	महासमुन्द	राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त एक
11	कु. अवंतिका गुप्ता, पिता–श्री राजेन्द्र गुप्ता, पता–गणेश चौक, गणेश मंदित के सामने, सदर दक्षिण वार्ड, धमतरी, जिला–धमतरी (छ.ग.) पिन नं. 493773	अपिव	धमतरी	राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त दो

12	श्री आशीष सोनी, पिता–श्री दत्तात्रे सोनी, पता–लोहार पारा, वार्ड नं. 26, मकान नं. 123, राजनांदगांव (छ.ग.) पिन नं. 491441	अपिव	राजनांदगांव	राज्य कर सहायक आयुक्त, महासमुद वृत्त
13	श्री नवीन कुमार शर्मा, पिता–स्व.श्री रामनारायण शर्मा, पता– मकान नं. 344, वार्ड नं. –41, पुराने उप डाक घर के पीछे, केलाबाड़ी, दुर्ग (छ.ग.) 491001	अनारक्षित	दुर्ग	राज्य कर सहायक आयुक्त, कोरिया वृत्त
14	कु. रीतु त्रिपाठी, पिता–श्री महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पता– विवेक सैनी हॉस्टल, वल्लभ नगर, सेक्टर–6, पचपेड़ी नाका, रायपुर (छ.ग.) 492001	अनारक्षित	रायपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त एक
15	श्री मनीष कुमार, पिता–श्री बाल कुमार, पता–मकान नं. 63, बीच बस्ती पारा, नवापारा (पूर्व) पोस्ट–कछार, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) पिन नं. 496661	अपिव	रायगढ़	राज्य कर सहायक आयुक्त, अंबिकापुर वृत्त
16	कु. विनीता, पिता–श्री मोतीलाल, पता– दीपेश विद्या मंदिर के पास, पं. सुन्दलाल शर्मा, वार्ड क्र. 20, कैलाश नगर, बीरगांव, रायपुर (छ.ग.) 493221	अपिव	धमतरी	राज्य कर सहायक आयुक्त, महासमुंद वृत्त
17	श्री आलेख निषाद, पिता–श्री बी.एस.निषाद, पता–नारायण नर्सरी के पास, इन्दु उद्यान चौक, जरहाभांटा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन नं. 495001	अपिव	बिलासपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, अंबिकापुर वृत्त
18	कु. शुभि शर्मा, पिता–श्री सत्यनारायण शर्मा, पता– क्वा. नं. 427/बी/1, बाल्को नगर, कोरबा (छ.ग.), पिन नं. 495684	अनारक्षित	कोरबा	राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त एक

19	श्री प्रदीप गुप्ता, पिता–श्री कृष्ण लाल गुप्ता, पता–एमआईजी–15, प्रीमियम के सामने, लक्ष्मी निवास, पुराना सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन नं. 495001	अपिव	रायगढ़	राज्य कर सहायक आयुक्त, जगदलपुर वृत्त दो
20.	कु. दीक्षा साहू, पिता–श्री चैनूराम साहू, पता–पुरानी सब्जी मंडी के पास, बम्ह्हर मंदिर के सामने, चांटीडीह, बिलासपुर (छ.ग.) पिन नं. 495001	अपिव	बिलासपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, रायगढ़ वृत्त दो
21.	कु. विभा राव, पिता–श्री उत्तरा कुमार राव, पता–ग्राम–डोंड़की, पोस्ट–रिस्दा, तहसली–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) पिन नं. 495551	अपिव	बिलासपुर	राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त तीन
22.	श्री रजनीकान्त यदु, पिता–श्री नेपालचंद, पता–मकान नं. 110, झाराबहाल, पोस्ट–देवभोग, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) पिन नं. 493810	अपिव	गरियाबंद	राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त तीन
23.	कु. नीलिमा बघेल, पिता–श्री निलकंठ बघेल, पता–मकान नं. 14, वृन्दावन कॉलोनी, उमदा रोड़, भिलाई–3, जिला–दुर्ग (छ.ग.) पिन नं. 490021	अजा	दुर्ग	राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त दो
24	श्री विमल खांडेकर, पिता–स्व.श्री शिवकुमार खांडेकर, पता–मकान नं. 19, वार्ड क्र. 20, खड़पारी पारा, जांजगीर, जिला–जांजगीरचांपा (छ.ग.) पिन नं. 495668	अजा	जांजगीर चांपा	राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त चार
25.	श्री महेश कुमार, पिता–श्री शत्रुहन लाल, पता–ग्राम–बामी, पोस्ट–कोयलारी, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–	अजा	कबीरधाम	उपायुक्त प्रर्व. बिलासपुर

	कबीरधाम (छ.ग.) पिन नं. 491995			
26.	श्री मिथलेश पारकर, पिता–श्री गंगाराम पारकर पता– सिटी, कोतवाली थाना परिसर, काली मंदिर के पास, गोल बाजार, बिलासपुर (छ.ग.) पिन नं. 495001	अजा	बिलासपुर	उपायुक्त प्रर्वतन दुर्ग
27.	श्री सतीश मेश्राम, पिता–श्री खेमलाल मेश्राम, पता–वार्ड नं. 42, बसंतपुर, राजनांदगांव, तह. व जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) पिन नं. 491441	अजा	राजनांदगांव	राज्य कर सहायक आयुक्त, दुर्ग वृत्त तीन
28.	सुश्री नलिनी जैन, पिता–श्री राजेश कुमार अग्रवाल, पता–ई–2, रिद्धी सिद्धी फेस–2, कौरिनभाटा, राजनांदगांव (छ.ग.), पिन नं. 491441	अनारक्षित	राजनांदगांव	राज्य कर सहायक आयुक्त, धमतरी वृत्त
29.	कु. रोशनी घरत, पिता–श्री महेश कुमार घरत पता–एचआईजी–3, न्यू हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पुलिस परेडग्राउंड के पास, लालबाग, जगदलपुर (छ.ग.) पिन नं. 494001	अजजा	कांकेर	राज्य कर सहायक आयुक्त, रायपुर वृत्त पांच
30.	श्री निर्मल कुमार सिरसो पिता–श्री अमृत लाल सिरसो पता– ग्राम–नयापारा (जेवरा) पोस्ट–कुकुसदा, तहसील–पथरिया, . जिला–मुंगेली (छ.ग.) पिन नं. 495335	अजजा	मुंगेली	राज्य कर सहायक आयुक्त, रायगढ़ वृत्त एक
31.	श्री प्रदीप कुमार सोरी, पिता–रत्तूराम सोरी पता–ग्राम–सम्बलपुर, पोस्ट–बम्हनी, तहसील व जिला–कोण्डागांव,(छ.ग.) पिन नं. 494226	अजजा	कोण्डागांव	राज्य कर सहायक आयुक्त, कोरबा वृत्त दो
32	कु. लता कोमरे पिता–श्री बाबूलाल कोमरे, पता– ग्राम–गुमड़ीडीह, पोस्ट–	अजजा	कांकेर	राज्य कर सहायक आयुक्त,

	साधूमिचगांव, तहसील–दुर्ग कोन्दल, जिला– उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) पिन नं. 494669			रायपुर वृत्त नौ
33.	कु. योगिता ध्रुव, पिता–श्री रामलाल ध्रुव, पता–गढ़ियापारा छुरा, तहसील–छुरा, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) पिन नं. 493996	अजजा	गरियाबंद	राज्य कर सहायक आयुक्त, राजनांदगांव वृत्त
34.	श्री कामेश्वर कुमार देव, पिता–श्री भानुकुमार, पता–विप्र महाविद्यालय के सामने, पं. रविशंकर शुक्ल नगर, (कुकुरबेड़ा) आमानाका रायपुर (छ.ग.) पिन नं. 492010	अजजा	धमतरी	राज्य कर सहायक आयुक्त, बिलासपुर वृत्त एक
35.	कु. ऋतु सोरी, पिता–श्री दुष्यंत सिंह सोरी, पता– प्लाट नं. 17/बी, एम.एस. सोरी, शिव मंदिर के पास, कादम्बरी नगर, दुर्ग (छ.ग.) पिन 491001	अजजा	कांकेर	राज्य कर सहायक आयुक्त, कोरबा वृत्त दो
36.	कु. लोकेश्वरी राठिया, पिता–श्री एस.एस.राठिया, पता–मकान नं. 74, ग्राम व पोस्ट–रिसदी, पेट्रोल पंप के पास, कोरबा जिला–कोरबा (छ.ग.) पिन नं. 495683	अजजा	जांजगीर चांपा	राज्य कर सहायक आयुक्त, कवर्धा वृत्त
37.	श्री संजीव कुमार तारम, पिता–श्री नम्मू तारम, पता–आर्शीवाद कॉलोनी, वार्ड नं. 44, राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) पिन नं. 491441	अजजा	राजनांदगांव	राज्य कर सहायक आयुक्त,. रायगढ़ वृत्त दो
38.	श्री राहूल देव ठाकुर, पिता–श्री डी.डी.ठाकुर, पता–सिविल लाईन रोड़ पंडरीपानी, कांकेर (छ.ग.) पिन नं. 494334	अजजा	धमतरी	राज्य कर सहायक आयुक्त, जगदलपुर वृत्त दो
39.	कु. फिरोज ध्रुव, पिता–श्री गोपाल राम ध्रुव, पता–मकान नं. 72, नेशनल	अजजा	गरियाबंद	राज्य कर सहायक आयुक्त,

	कॉन्वेन्ट स्कूल के पास, सुन्दर नगर, रायपुर (छ.ग.) पिन नं. 492013			रायगढ़ वृत्त दो

2/ यदि अभ्यर्थी शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा अशासकीय पद पर सेवारत हैं या पहले सेवारत रहे हों तो अथवा उनके द्वारा साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, उक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात ही उपस्थिति मान्य होगी।

3/ (a) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी ।

(b) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा ।

4/ परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी । नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा । इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवाएं तत्काल समाप्त की जायेगी ।

5/ सभी अभ्यर्थियों का निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा। पुलिस सत्यापन में अभ्यर्थी को सेवा के लिये अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जायेगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी ।

6/ शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त वाणिज्यिक कर निरीक्षक "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधीनस्थ श्रेणी–3 कार्यपालिक भर्ती नियम 1966" के प्रावधानों के तहत शासित होंगे ।

7/ उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिला मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है । अतः अभ्यर्थीगण मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे । बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के उपस्थिति नहीं ली जावेगी । मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जाएगी ।

8/ उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित अधिकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये

जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी ।

9/ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जाएगा।

10/ चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्व पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिये उत्तरदायी होगा ।

11/ चयनित अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी ।

12/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है ।

आयुक्त
राज्य कर, छत्तीसगढ
अटल नगर रायपुर

पृ.क्रमांक/राकआ/एक/स्था/2020/ 4144 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23.06.2020

<u>प्रतिलिपिः—</u>

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
6. संचालक, स्वास्थ्य एवं सेवाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर । कृपया मेडिकल बोर्ड से उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, स्वास्थ्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र उसे शीघ्र प्रदाय करें । मेडिकल बोर्ड की बैठक तिथि, स्थान व समय की सूचना अभ्यर्थी को उसके वर्तमान पते पर सीधे सूचित करें, ताकि वह निर्धारित समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित हो सके।
7. संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर रायपुर संभाग क्रमांक एक/दो/बिलासपुर संभाग क्रमांक एक/दो/दुर्ग संभाग/उपायुक्त (प्रवर्तन), रायपुर/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
8. वाणिज्यिक कर अधिकारी, ... की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की कंडिका 2 (यदि लागू हो) का कड़ाई से पालन करें एवं आपके कार्यालय में पदस्थ किये गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व उसके जाति प्रमाण पत्र, मूल (स्थानीय) निवास प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्रों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की जांच सूक्ष्मता से की जावे और पूर्ण संतुष्टि

जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी ।

9/ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जाएगा।

10/ चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्व पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिये उत्तरदायी होगा ।

11/ चयनित अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी ।

12/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है ।

आयुक्त
राज्य कर, छत्तीसगढ
अटल नगर रायपुर

पृ.क्रमांक/राकआ/एक/स्था/2020/ 4144 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23.06.2020

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
2. ~~प्रमुख~~ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
6. संचालक, स्वास्थ्य एवं सेवाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर । कृपया मेडिकल बोर्ड से उम्मीद्वार का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, स्वास्थ्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र उसे शीघ्र प्रदाय करें । मेडिकल बोर्ड की बैठक तिथि, स्थान व समय की सूचना अभ्यर्थी को उसके वर्तमान पते पर सीधे सूचित करें, ताकि वह निर्धारित समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित हो सके।
7. संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर रायपुर संभाग क्रमांक एक/दो/बिलासपुर संभाग क्रमांक एक/दो/दुर्ग संभाग/उपायुक्त (प्रवर्तन), रायपुर/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
8. वाणिज्यिक कर अधिकारी, ... की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की कंडिका 2 (यदि लागू हो) का कड़ाई से पालन करें एवं आपके कार्यालय में पदस्थ किये गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व उसके जाति प्रमाण पत्र, मूल (स्थानीय) निवास प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्रों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की जांच सूक्ष्मता से की जावे और पूर्ण संतुष्टि

के उपरांत ही उसे कार्यभार ग्रहण कराया जावे । यदि अभ्यर्थी के संबंध में जांच के दौरान कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने हेतु उसका प्रकरण इस विभाग को उचित मार्गदर्शन हेतु प्रेषित करें । कृपया कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से बांड फार्म भरवाएं एवं उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करें ।

9. संबंधित श्री .... आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि यह नियुक्ति आपको स्वीकार हो तो कृपया इस आदेश की पावती एवं सहमति अविलंब इस विभाग को भेजें एवं इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें।

10. मुख्यालय के स्थापना कक्ष की ओर सूचनार्थ।

11. कार्यालयीन आदेश फाईल हेतु ।

राज्य कर उपायुक्त (प्रशा.)
वास्ते/राज्य कर आयुक्त, छत्तीसगढ़,
नवा रायपुर, अटल नगर